न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/277
दायरा तिथि : 03-09-2019
आदेश तिथि : 20-02-2024
प्रार्थी :–

संजीतसिंह मंगत पुत्र श्री गुरमीतसिंह जाति सिख निवासी जालंधर पंजाब हाल निवासी बेडा

प्रतिस्थापित आदेश दिनांक 03.01.2024 से

1. **श्रीमती किर्तीसिंह राणावत पत्नी जोगेन्द्रसिंह राणावत जाति राजपूत निवासी हाउस नं0 44 कॉलोनी भिक्षु नगर, समता नगर, बेदला, तहसील बडगावं जिला उदयपुर**
2. **जिनेन्द्रकुंवर देवडा पुत्र श्री गणपतसिंह देवडा जाति राजपूत निवासी हाउस नं0 172 राजपूतों का वास, नियर हनुमान मंदिर कोरटा तहसील सुमेरपुर**

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. धर्माराम पुत्र पोकरलाल जाति लुहार के कामुः–
   1/1 श्रीमती मीठीबाई पत्नी धर्माराम
   1/2 जगदीश कुमार पुत्र धर्माराम
   1/3 महेश कुमार पुत्र धर्माराम
   1/4 सुरेश कुमार पुत्र धर्माराम जातिगण लुहार निवासीगण बेडा
   1/5 शारदा पुत्री धर्माराम पत्नी भगवानजी लुहार निवासी बाली
   1/6 पिंकी पुत्री धर्माराम पत्नी चेतन कुमार लुहार निवासी खिवांदी तहसील सुमेरपुर
2. चुन्नीलाल पुत्र पोकररामजी जाति लुहार निवासी बेडा
3. शांतिलाल पुत्र पोकररामजी जाति लुहार निवासी बेडा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 20-02-2024

प्रार्थी संजीतसिंह मंगत पुत्र श्री गुरमीतसिंह जाति सिख निवासी जालंधर पंजाब हाल निवासी बेडा ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 874, 875 रकबा क्रमशः 0.65 हैक्टर, 0.44 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 876 रकबा 0.91 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2019/2301 दिनांक 04.11.2019 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बेडा चक । के खसरा नंबर 874 व 875 में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा रास्ता के लिये प्रभावित बेडा प्रथम के खसरा नंबर 876 में से निम्नानुसार भूमि प्रभावित होना बताया।

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	876	0.91 हैक्टर	बारानी अव्वल	9.15X64= 585.60 वर्गमीटर	धर्माराम, चुन्नीलाल, शांतिलाल पुत्र पोकरराम जाति लुहार निवासी बेडा

उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला-पाली) राज.

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला पाली (राज.)

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2019/00281
अनवान संजीतसिंह प्रतिस्थापित किर्तीसिंह वगैरा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बेडा प्रथम की डी.एल.सी. दर 64890 रू/- रूपये प्रति बीघा है।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में हितबद्ध पक्ष को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 धर्माराम की मृत्यु काफी समय पूर्व होने की सूचना के पश्चात वकील प्रार्थी द्वारा कायम मुकाम को रिकार्ड पर लिये जाने का आवेदन किये जाने पर आदेशिका दिनांक 24.12.2019 से मृतक धर्माराम के कामु को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1/2 की ओर से वकील श्री मूलसिंह यादव द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा शेष अप्रार्थीगण की तामील प्रोसेस सर्विस से नहीं होने पर रजिस्टर्ड डाक के नोटिस जारी किये गये। दिनांक 06.02.2024 को वकील प्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजे नोटिस का तामीली स्टेटस पेश किया। प्रकरण के चलते प्रार्थी द्वारा धारित भूमि का बेचान किर्ती सिंह राणावत व जिनेन्द्र कुंवर देवडा को कर देने से वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.09.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर खरीद कर्ता को बतौर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र शीर्षक पर प्रतिस्थापित किये जाने का निवेदन किया। जिस प्रार्थना पत्र पर वकील अप्रार्थी संख्या 1/2 द्वारा नो ऑब्जेक्शन करने से आदेशिका दिनांक 03.01.2024 से प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये खरीदकर्ता किर्तीसिंह राणावत को बतौर प्रार्थीगण प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश पारित किये गये। प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण की तामील होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/3 से 1/6 तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में तहसीलदार बाली से वर्ष 2019 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1/2 के अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई। दिनांक 12.02.2024 को बहस के लिये नियत पेशी पर अधिवक्ता अप्रार्थी मूलसिंह यादव अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1/2 का जवाब अवसर बंद करते हुये वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की सहखातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 874, 875 रकबा कमशः 0.65 हैक्टर, 0.44 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। जिस तथ्य को तहसीलदार बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार किया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 874, 875 रकबा कमशः 0.65 हैक्टर, 0.44 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि बेडा प्रथम पटवार हल्का बेडा प्रथम तहसील बाली के खसरा नंबर 876 रकबा 0.91 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में से **585.60 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

पेज लगातार.........03

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2019/00281

अनवान संजीतसिंह प्रतिस्थापित किर्तीसिंह वगैरा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 64890/–रूपये प्रति बीघा से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
876	0.91 हैक्टर	64X9.15= 585.60 वर्गमीटर	41	24010 X2=48020	1. धर्माराम पुत्र पोकरलाल जाति लुहार के कामु:– हिस्सा 1/3 1/1 श्रीमती मीठीबाई पत्नी धर्माराम 1/2 जगदीश कुमार पुत्र धर्माराम 1/3 महेश कुमार पुत्र धर्माराम 1/4 सुरेश कुमार पुत्र धर्माराम जातिगण लुहार निवासीगण बेडा 1/5 शारदा पुत्री धर्माराम पत्नी भगवानजी लुहार निवासी बाली 1/6 पिंकी पुत्री धर्माराम पत्नी चेतन कुमार लुहार निवासी खिवांदी तहसील सुमेरपुर 2. चुन्नीलाल पुत्र पोकररामजी जाति लुहार निवासी बेडा हिस्सा 1/3 3. शांतिलाल पुत्र पोकररामजी जाति लुहार निवासी बेडा हिस्सा 1/3

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 48020/– (अक्षरे अडतालीस हजार बीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भागीरथ राम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 2-2-2024

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

क्रमांक/कोर्ट/2024/209-213

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, बेडा प्रथम
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्रीमती किर्तीसिंह राणावत पत्नी जोगेन्द्रसिंह राणावत जाति राजपूत निवासी हाउस नं0 44 कॉलोनी भिक्षु नगर, समता नगर, बेदला, तहसील बडगावं जिला उदयपुर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner